


फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज्ञ अवागत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकायाना
 श्रीराम वनाम भूमिधारी
 किरम मुकवमा प्रोपेड 128 सभूत अधि नम्बर 572 वर्ष 2022


तारीख हुम	हुम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुम की तारीख में जारी हुए
01/01/22	<p>रिपोर्ट करिजा होर जर्नल पत्र द्वारा 128 सभूत अधिगत पेय हुमा करीब 3000 उपरिखत। जर्नल पत्र दर्द रिपोर्ट फिलजामर अउरी को करिजे नैमित्त तमब फिलजामर पत्रावती दिनांक 21/10/2022 को पेश हो।</p> <p>(बृजेश कुमार) उपखण्ड अधिकारी नीमकायाना (सीकर)</p> <p>21/10/22 पत्रावती पेश हो। जजिभाषक संघ आज उपरिखत हुमा मजान कर रखा है। जजिभाषक आदेशानुसार दिनांक 01/11/22 को पेश हो।</p>	
01/11/22	<p>पत्रावती पेश हुने करीब 3000 उपरिखत। अउरी बावजुद सभूत तारीख अनुपरिखत। अउरी के विरुद्ध शूट परदिप करिवाही अमल में जारी जारी हो करीब 3000 के निवेदन पर बहस करीब 3000 एड परदिप सुनी गरी। पत्रावती वास्ते निर्णय शपदीय लोड अदानत दिनांक 12/11/2022 को पेश हो।</p>	

12-11-2022 पत्रावली आज वास्ते निर्णय पेश हुयी। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी के विरुद्ध पूर्व में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जा चुकी है। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी के आदेश पारित किये जावे। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड राजस्व ग्राम खारिया पटवार हल्का डोकन स्थित खसरा नंबर 148 रकबा 0.39 हेक्टे0 प्रार्थी की खातेदारी की भूमि है। जिसका बाद सीमाज्ञान पत्थरगढी कराने के प्रार्थी को विधिक अधिकार है। अतः प्रार्थी व पड़ोसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत् पत्थरगढी स्वीकार किये जाने योग्य है।


(वृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी आदिश
नीमकाथाना (सीकर)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पाटन को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम खारिया पटवार हल्का डोकन स्थित खसरा नंबर 148 रकबा 0.39 हेक्टे0 की प्रार्थी व पड़ोसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान, मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 24.06.2022 पत्थरगढी की जावे। दौराने पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावे। तहसीलदार पाटन को इस हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।


(वृजेश कुमार)